

442
राजस्थान सरकार
कृषि (गुप-2) विभाग

कमांक प.10(2)कृषि/गुप-2/75

जयपुर, दिनांक: 6 OCT 2009

अधिसूचना

1dd DAM
6-10-09
DD(R)

राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 40 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विभाग की विज्ञापि संख्या प. 10(2)कृषि/गुप-2बी/75 दिनांक 23.4.1977 के क्रम में राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन अनुसूची जो राजस्थान राजपत्र दिनांक 23.4.1977 में प्रकाशित हुई है, में निम्नलिखित संशोधन करने की घोषणा करती है, अर्थात् :-

-: संशोधन :-

उक्त अनुसूची में,

(i) निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत उनके सम्मुख अंकित कृषि उपज को निम्नप्रकार प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

" मसाले शीर्षक " के अन्तर्गत अंकित कृषि उपज " अदरक " को विलोपित कर " सब्जियां शीर्षक " के सम्मुख अंकित कृषि उपजों के साथ सम्मिलित किया जाता है ।

आज्ञा से,

ए०


(अनिल गुप्ता)

शासन उप सचिव

64/DAM
8-10-09
339) ADAM
8-10-09

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज. जयपुर को मय सी.डी. के राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ ।
2. निजी सचिव, मा. राज्य मंत्री, कृषि विपणन विभाग राज. जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर ।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग राज. जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ।
6. रक्षित पत्रावली ।


शासन उप सचिव